

डिकी नमूदमें इबादाई
(आदेश 20 नियम 6.7 जाब्ता दीवानी)

राजस्थान लोक अदालत अधिनियम
व्याप आभको द्वार-2018

अज अदालत (उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल जिला-नागौर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत-बोड़वा

मु0न0 258/2017

वादीगण-

1. गुठाराम
2. लिखमाराम
3. प्रेमसुख पुत्रगण मोडाराम जाति जाट निवासीगण रूपाथल तहसील जायल जिला नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण-

1. मोडाराम पुत्र छोटाराम
2. शांति
3. मीरा पुत्रिया मोडाराम जाति जाट निवासीगण रूपाथल तहसील जायल जिला नागौर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

वाद बाबत बंटवाडा खेताय घोषणा खेताय अन्तर्गत धारा 53 व 88
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक :-21.05.2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी वादी व प्रतिवादी स्वयं की उपस्थिति में हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. वादी संख्या 1 गुठाराम के हक बंट में मौजा रूपाथल का खेत ख नं 424 रकबा 31.12 बीघा में से 12.01 बीघा नजरीनवशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. वादी संख्या 2 लिखमाराम के हक बंट में मौजा रूपाथल का खेत ख नं 424 रकबा 31.12 बीघा में से 07.00 बीघा नजरीनवशानुसार तथा ख नं 85 रकबा 05.13 बीघा पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. वादी संख्या 3 प्रेमसुख के हक बंट में मौजा रूपाथल का खेत ख नं 424 रकबा 31.12 बीघा में से 12.01 बीघा नजरीनवशानुसार तथा ख नं 401/828 रकबा 0.10 बीघा पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
4. प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 शांति व मीरा के सामलाती हक बंट में मौजा रूपाथल का खेत ख नं 424 रकबा 31.12 बीघा में से 0.10 बीघा नजरीनवशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादी संख्या का मोडाराम का नाम जमाबंदी से हटाया जाता है।

तहसीलदार जायल को डिक्ली पर्चा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु तहरीर जारी हो।

लीज x मुबलिक x बाबत x खर्चा इस मुकदमे मय सूद व शहर x फीस सदी सालाना आज की तारीख तारीख वसूल योग्य तक x को अदा करी बसील मेरे दस्ताखत व मुहर अदावत के आज दिनांक 21.05.2018 को जारी किया गया।

जुद	कस्ती	दिनांक	मुद्रा	रूपये	पैस
नाम अर्जी दाखल दिनांक कारीनामा अर्जि मुकदमा नम्बर मौजा/खेत/कमील खर्चा गवाहन फीस कमीशन बबत इजराय हुक्मीजान मुलकरीक	जायल (नागौर)		इलाहा अकारलनामा स्टाम्प अर्जी महनलना कमील खर्चा गवाहन फीस कमीशन बाबत इजराय हुक्मीजान मुलकरीक	जायल, जिला नागौर	

नोट - इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो करोडन को वाद डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

वन्च सदस्य
राजस्व लोक अदालत
जायल (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
जायल, जिला नागौर